CHHATTISGARH HOUSING BOARD HEAD OFFICE SHANKAR NAGAR RAIPUR

www.cghb.gov.in

CHHATTISGARH HOUSING BOARD

Walk-In-Interview

A walk in interview will be conducted on 30th July 16 to select a candidate for Post of Senior consultant of CG Housing Board and Housing & Environment dept. C.G. Govt. for work related to Central Government Offices, Corporate Offices, Courts, Tribunals, Forest dept. & Financial institution etc purely on Contractual basis stationed at New Delhi.

The Interested Candidate may appear before the selection committee with all Original Testimonials with an attested photo copy of each of it along with updated Resume as per date and time given below –

- **Position** - Sr. Consultant cum Resident Representative
- **No of Vacancies** - 01 (One)
- **Category** - Open
- **Eligibility Criterion** -
  a) Candidate should posses B.E, Degree in any stream.
  b) Additional Qualification in Law, Management & Journalism will be preferred.
- **Essential Experience** – Minimum 20 to 25 years experience in State/Central Govt. Utilities out of which minimum 10 years experience of Sr. Class-I scale in state govt./Central or State PSU in liaison work /coordination with government department station in Delhi
- **Age Criteria** – 50 to 68 years
- **Interview Date & Time** -
  a) 30th July 2016.
  b) 10:00 AM (Morning)
- **Period of Contract** – The period of contract will be 2 years as per Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam 2012 which can be extended on mutual agreement.
- **Venue** - Chhattisgarh Housing Board, Head Office Premises, Shankar Nagar, Raipur (C.G.) Pin - 492007. For more Details visit our website-www.cghb.gov.in

Chief Estate Officer

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

1. <u>उपयोगिता</u> :–

- देश की राजधानी में मण्डल का केन्द्र होने से अन्य प्रदेश के हितग्राहियों से संपर्क करना संभव होगा।
- केन्द्र शासन के कार्यालयों, विभिन्न न्यायलय, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थानो के मुख्यालयो से त्वरित संपर्क करने प्रतिनिधि उपलब्ध रहेगें।
- केन्द्र की नई योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी।
- मण्डल की रिक्त संपत्तियो के विक्रय में वृद्धि की संभावना।
- केन्द्रीय योजनाओ के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को हल करने में सुविधा होगी।
- मण्डल के अधिकारियों को दिल्ली स्थित केन्द्र शासन के कार्यालयों से संपर्क करने में समय की बचत होगी, साथ ही मण्डल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहें प्रयासों को देख मण्डल के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- मण्डल की रिक्त संपत्तियों की जानकारी हितग्राहियों को पूर्ण एवं विस्तारपूर्वक उपलब्ध करना जैसे – मकानों का मूल्य, मकानों की उपलब्धता, ले–आउट, पिक्चर आदि आसानी पूर्वक प्राप्त हो पाएगी।

2. <u>आवासीय प्रतिनिधि सह सलाहकार के (Resident representative cum consultant) द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य :–</u>

- केन्द्र की विभिन्न योजनाएं जैसे – 'सबके लिए आवास', 'अटल आवास योजना', 'प्रधानमंत्री आवास योजना','दिनदयाल आवास योजना' ऋण सब्सिडी, तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित कार्य हेतु केन्द्र शासन के कार्यालयों से संपर्क स्थापित कर कार्य निष्पादित करेंगें।
- केन्द्र स्तरीय बैठक, सेमिनार एवं व्यापार मेले में मण्डल एवं आवास एवं पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल से संबंधित विधिक कार्य में अधिवक्ता सलाहकार से समन्वय स्थापित कर परामर्श प्रदान करना।
- मण्डल तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग की व्यापक प्रचार प्रसार करेंगें।
- केन्द्र शासन के, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित नई योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर अवगत कराएगे।

- मण्डल द्वारा किए जा रहे अनेक विभागो के निक्षेप (डिपाजिट) कार्य के संबंध में शासकीय/ अर्धशासकीय एवं अन्य विभागो से संपर्क करेंगें।
- हितग्राहियो को मण्डल की योजनाओं के संबंध में जानकारी/ फार्म एवं ब्रोशर उपलब्ध कराना।
- केन्द्र शासन से समन्वय स्थापित कर मण्डल, तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के वन विभाग से स्वीकृति, सी.डी.एम अनुमोदन, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन करवाना।
- विश्व स्तरीय नवीन प्रौद्योगिकियों का विश्लेषण कर इनका विवरण तथा नवीन आने वाली तकनीक से अवगत कराना।
- उक्त कार्यालय दिल्ली स्थापित रहेगा जिसकी रिपोर्टिंग मण्डल मुख्यालय एवं आवास एवं पर्यावरण विभाग,रायपुर को की जावेगी।
- शहरी एवं ग्राम निवेश अंतर्गत शहरी विकास, स्मार्ट सिटी की अवधारणा तथा केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विकास हेतु विकास योजना तथा स्मार्ट सिटी कि योजना के संबंध में परामर्श।

3. <u>कार्यप्रणाली की समीक्षा एवं नियंत्रण :-</u>

- वरिष्ठ सलाहकार द्वारा मासिक की जानकारी निर्धारित प्रारूप में आनलाइन मण्डल मुख्यालय को प्रेषित किया जावेगा।
- केन्द्र शासन द्वारा लिए जाने वाले निर्णय तथा जारी किए जाने वाले आदेश की जानकारी मुख्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराना होगा।
- केन्द्र शासन के तथा अन्य विभागो के कार्यालय से संपर्क तथा, किस किस अधिवक्ता आदि से संपर्क का विवरण आनलाइन प्रषित किया जावेगा।

4. <u>कार्यावधि :-</u>

- शासकीय कार्य अवधि मे तथा आवश्यक्तानुसार उक्त अधिकारियो द्वारा दिए गए निर्देशानुसार।

5. <u>स्थान :-</u>

- प्रस्तावित कार्य हेतु कार्यालय नई दिल्ली स्थित छ.ग. भवन के कक्ष में स्थपित होगा।
- कार्यालय में हितग्राहियो एवं स्टाफ हेतु संपर्क करने एवं बैठने कि समस्त सुविधा का प्रबंध किया जावेगा।